

न्यायालय : पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.  
 (आप.प्रक.क. : - 433 / 2014)  
 (संस्थित दिनांक :- 02.06.14)

म.प्र.राज्य,  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ  
 जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

/// विरुद्ध ///

01. राजू पुत्र धन सिंह उम्र 30 वर्ष  
 निवासी ग्राम किटैना थाना मौ  
 जिला :- भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त ।

/// निर्णय ///

( आज दिनांक :- 24 / 06 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी राजू पर धारा :- 341, 294, 506 भाग दो भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक :- 05.05.14 को सुबह लगभग 9 बजे ग्राम किटैना में फरियादी अतरसिंह के घर के सामने आम रास्ते पर फरियादी अतरसिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया, उसी समय फरियादी अतरसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में फरियादी अतरसिंह का आरोपी मेहताब, पुलंदर एवं प्रीतम से राजीनामा हो जाने के कारण उक्त आरोपीगण को दोषमुक्त कर प्रकरण से स्वतंत्र किया जा चुका है।

03. अभियोजन कथा संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक :- 05.05.14 की सुबह लगभग 9 बजे ग्राम किटैना में फरियादी अतरसिंह के घर के सामने आम रास्ते पर आरोपी राजू एवं अन्य आरोपीगण द्वारा फरियादी अतरसिंह का रास्ता रोकने, उससे गाली गलौच करने एवं उसे जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी अतरसिंह द्वारा दिनांक 05.05.14 को ही 11:30 बजे थाना मौ पर की जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0-174/14 अंतर्गत धारा 294, 341, 506 भाग दो, सहपठित धारा 34 भादस0 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, फरियादी अतरसिंह, साक्षी नाथूसिंह, उदयवीर, रामस्वरूप एवं प्रीतमसिंह के कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस

लेखबद्ध किए गए। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके गिरफ्तार पत्रक बनाए गए। विवेचना पूर्णकर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 341, 506 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। विचारण के दौरान राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण मेहताब, पुलंदर एवं प्रीतम को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त राजू के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपी राजू ने दिनांक :- 05.05.14 को सुबह लगभग 9 बजे ग्राम कितैना में फरियादी अतरसिंह के घर के सामने आम रास्ते पर उसे उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अतरसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अतरसिंह को जान से मारने की धमकी देकर संतुष्ट कर आपराधिक अभिप्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष ?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 03**

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी/आहत अतरसिंह का कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपीगण उसके गांव के हैं। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 28.07.15 से एक वर्ष पहले की सुबह नौ बजे की है। आरोपीगण रोज की तरह शराब पीकर लट्टूरी के यहां जुआ खेल रहे थे। मैंने कहा कि यह गलत काम है, माहौल खराब होता है। इतना कहकर मैं अपने घर के सामने आया तो आरोपीगण पुलंदर, मेहताब, प्रीतम एवं

राजू ने मेरा रास्ता रोक लिया और बोले कि पैसा हम खर्च रह रहे हैं, तुझे क्या कहना है। उसके बाद आरोपीगण ने मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां दी और आरोपीगण बोले की अगर रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देंगे। साक्षी आगे कहता है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट मैंने पुलिस थाना मौ में की थी जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लिया था।

09. उल्लेखनीय हैं कि फरियादी अतरसिंह अ0सा0 1 उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपी राजू द्वारा भी उसका रास्ता रोके जाने का कथन करता है, जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आरोपी राजू द्वारा उसका रास्ता रोका गया था। इस प्रकार फरियादी अतरसिंह का रास्ता आरोपी राजू द्वारा रोके जाने के संबंध में अतरसिंह अ0सा0 1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

10. आरोपी राजू के द्वारा आरोपित घटना के दौरान फरियादी अतरसिंह अ0सा0 1 से गाली गलौंच किए जाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के अतरसिंह के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई चुनौती नहीं दिए जाने के कारण इस बावत् उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है। इस बावत् फरियादी अतरसिंह अ0सा0 1 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक निहालसिंह अ0सा0 4 ने भी फरियादी अतरसिंह द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट किए जाने के तथ्य की उसके अखण्डित न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान की है।

11. साक्षी नाथूसिंह एवं प्रीतमसिंह अ0सा0 2 एवं 3 ने अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी द घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

12. रणवीरसिंह अ0सा0 5 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक 05.05.14 को थाना मौ में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 174/14 अंतर्गत धारा 294, 341, 506 भाग दो भादस0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी अतरसिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी अतरसिंह का एवं दिनांक 08.05.14 को साक्षी उदयवीर, प्रीतम रामस्वरूप एवं दिनांक 28.05.14 को साक्षी नाथू का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए थे जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा दिनांक 27.05.14 को आरोपीगण मेहताब, पुलन्दर, राजू एवं प्रीतम को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिर0 पंचनामा क्रमशः प्र0पी0 5 लगायत 8 तैयार किए थे जिनके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में विवेचक रणवीर अ०सा० 5 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिए। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने नक्शा मौका पर फरियादी अतरसिंह के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराए थे। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने फरियादी के कहने पर आरोपीगण के खिलाफ झूठे कथन लेखबद्ध कर असत्य विवेचना की है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण उपरांत भी विवेचक रणवीर अ०सा० 5 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य उसके द्वारा की गयी विवेचना के संबंध में पूर्णतः अखण्डित रहा है।

13. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी राजू ने दिनांक 05.05.14 को सुबह लगभग 9 बजे ग्राम किटैना में फरियादी अतरसिंह के घर के सामने आम रास्ते पर फरियादी अतरसिंह को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में जाने का उसे अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया। परंतु अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी राजू ने फरियादी अतरसिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

### अंतिम निष्कर्ष

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राजू के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 341 के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राजू को भा.द.सं. की धारा 341 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राजू के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी राजू को भा.द.सं. की धारा 294, 506 भाग दो के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

15. आरोपी राजू को परिवीक्षा के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। आरोपी राजू द्वारा किए गए कृत्य से समाज में अश्लील गाली गलौच एवं धमकी देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः प्रकरण आरोपी राजू को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए कुछ समय पश्चात् पेश हो।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

पुनश्च:

16. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी उसके परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है एवं आरोपी गरीब तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति है इसलिए उसे कारावास से दण्ड से दण्डित न किया जाकर मात्र अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे। प्रकरण में फरियादी अतरसिंह द्वारा अन्य आरोपीगण से कर लिए गए राजीनामे एवं आरोपी की अशिक्षित ग्रामीण पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजू को धारा 294 भादस0 के अपराध के लिए 200/—रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग दो भादस0 के आरोप के लिए 300/—रूपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया। आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में उसे सजा वारंट के माध्यम से 5-5 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

17. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद